न्यायालयः—सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :—श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 117 / 2022
प्रकरण दर्ज तिथि :— 19.09.2022
जीसीएमएस नम्बर :— 2022 / 277

वादीया

सुमित्रा पत्नि श्री कमलकिशोर, उम्र—वयस्क, जाति—रेगर, निवासी—रायपुर, तहसील—रायपुर,

बनाम

प्रतिवादीगण

1. चिरजींलाल पुत्र श्री परमानन्द, उम्र—व्यस्क, जाति ढोली, निवासी बिजाथल तह. रियाबडी जिला नागौर राज.
2. नेमाराम पुत्र श्री भोलाराम, उम्र—व्यस्क, जाति बावरी, निवासी पिपलिया कलां तहसील रायपुर जिला पाली राज.
3. समदुडी पत्नि श्री भोलाराम, उम्र—व्यस्क, जाति बावरी, निवासी पिपलिया कलां तहसील रायपुर जिला पाली राज.
4. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, रायपुर जिला पाली (राज)

दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 ', 188 राज. काश्त. अधि.

1 श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादी उपस्थित

2 प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 अनुपस्थित एक पक्षीय कार्यवाही

निर्णय **दिनांकः 27.12.2023**

वादी की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला द्वारा दावा बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राज. काश्त. अधि. के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा पीपलीयां कलां, पटवार हल्का पीपलीया कलां, भू. अभि. निरिक्षक क्षैत्र पीपलीयां कलां, तहसील रायपुर जिला पाली (राज) की जनाबन्दी सवत् 2075—2078 जमाबन्दी सवत् 2077 के खाता सं. 397 खसरा सं. 30 / 1 रक्बा 0.1619 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खाता सं. 621 खसरा सं. 36 / 1 रक्बा 0.9793 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, वादीया की शामलाती खातेदारी भुमि आई हुई है। उपरोक्त वर्णीत आराजीयात को आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजियात के नाम से सम्बोधित किया जाएगा, तथा वादपत्र के साथ जमाबन्दी सवंत 2075—2078, की प्रमाणित प्रति एवं राजस्व नक्शा की फोटो प्रति पेश किया जा रहा हैं, जिसे वादपत्र का आवश्यक भाग के रूप में पढा जावें। उपरोक्त वर्णीत सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजीयात मे वादीया खातेदार काश्तकार दर्ज रेकर्ड है जो वादीया द्वारा खरीद सुदा भुमि है। वर्तमान मे खाता सं. 397 मे वादीया का 1 / 2 वा हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 को 1 / 4 वा हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 3 का 1 / 4 वा हिस्सा दर्ज है एवं खाता सं. 621 मे वादीया का 41 / 242 वा हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 का 40 / 121 वा हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 1 / 4 एव प्रतिवादी सं. 3 का 1 / 4 वा हिस्सा दर्ज रेकर्ड है। वादीया खरीद दिंनाक से व प्रतिवादीगण अपने खातेदारी अधिकार से उक्त विवादित भुमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे थे एवं उन्होने उक्त भुमि पर रूपये खर्च कर उक्त भुमि को अधिक उपजाउ बनाया था। वादीया ने खरीद दिनांक से उस कृषि भुमि पर काबिज होकर एवं प्रतिवादी अपने अपने दर्ज रेकर्ड हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे थे। भुमि को उपजाउ बनाने हेतु बहूत रूप्ये खर्च किया है एवं खाद डालकर उपजाउ बनाया है, एवं खरीद के समय मौखिक बटॅवाडा के अनुसार मौके पर काबिज है। परन्तु राजस्व रेकर्ड मे एक खाते के रुप मे एवं राजस्व नक्शे मे एक जोत मे दर्ज इन्द्राज है जिस कारण वादी को सरकारी सहायता ऋण लेने मे भारी समस्या का सामना करना पड रहा है। प्रतिवादीगण ने वादीया की उपजाउ भुमि पर कब्जा करने कि नियत रखते है जिस कारण वादीया ने अपने—अपने हिस्से की भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हिस्से की भूमि से

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायपुर।

अलग बंट करवाना चाहते है, जिससे वादीया को रहन लेने मे आसानी हो। जिस कारण वादीया ने दिंनाक 15/06/2022 को प्रतिवादी को बॅटवाडा करने का निवेदन किया एवं प्रतिवादी ने बॅटवाडा करने से मना कर दिया जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नहीं हैं वादीया का प्रतिवादीगण से अपने हिस्से की भुमि मे आने जाने पर आये दिन झगडा फसाद करते है उक्त विवादीत आराजियात मे वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य बन्टवारा नहीं हाने के कारण भुमि मे आने जाने के लिए आये दिन झगडा फसाद होते है, तथा वादीया का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज रेकर्ड है। एवं वादीया एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काश्त करते आ रहे हैं व बहैसियत मालिक अपने अपने हिस्से का उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं, वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बिच, पुर्व मे मौके पर बन्टवारा हो रखा था परन्तु प्रतिवादीगण वादीया की खातेदारी पर भी कब्जा करने कि नियत रखते है, जो कानुनन अपराध है जिससे प्रतिवादीगण को वादीया के हक हिस्सा पर से बेदखल किया जावे एवं राजस्व रेकर्ड मे बाई मिट्स एण्ड बोन्ड्स बन्टवारा नहीं हो रखा हैं, अतः राजस्व रेकर्ड मे बाई मिट्स एण्ड बोन्ड्स बन्टवारा करवाकर जिसमें वादीया एवं प्रतिवादीगण का दर्ज रेकर्ड हिस्सा अनुसार अलग खसरा नं. लगाकर अंकन किया जावें। राजस्व नक्शे मे भी अलग अलग इन्द्राज किया जावे एवं लगान भी बाटॉ जावे। वादीया व प्रतिवादीगण की शामलाती कृषि भुमि का राजस्व रेकर्ड अनुसार बाई मिट्स एण्ड बोन्ड्स बन्टवारा करवाया जावें एवं वादीया को मौके पर पत्थर गढी, मेखम बंदी करवाई जावे तथा खसरा व खाता अलग निर्धारण कर लगान अलग अलग खोला जावे व नक्शे मे हिस्से अनुसार तरमीम करवाकर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रथक से नाम दर्ज करवाया जावें। यह है कि चूंकि प्रतिवादीगण 1 से 3 उक्त विवादित भुमि मे राजस्व रेकर्ड अनुसार सह खातेदार होने से तथा प्रतिवादीगण सं 4 लैण्ड होल्डर होने से उक्त वाद मे पक्षकार बनाये गये हैं। वादपत्र मे प्रतिवादी सं. 4 तहसीलदार का पक्षकार बनाया है जो सरकारी कर्मचारी है जिनको कि वाद दायरी से पूर्व अंतर्गत धारा 80 जाब्ता दीवानी के सूचना दिया जाना आवश्यक होता है, लेकिन चूंकि प्रस्तुत वाद एक अतिआवश्यक प्रकृति का होने के कारण नोटिस देकर दो माह का इंतजार करने तक वादी के मौजूदा वाद का मकसद ही विफल हो जायेगा और प्रतिवादी वादीया की आराजियात को बेदखल कर देंगे। अतः नोटिस से छूट दिये जाने हेतु अलग से धारा 80(2) जाब्ता दीवानी का वाद पत्र पेश कर वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त की जा रही है। यह कि उपरोक्त तमाम तथ्यों एवं परिस्थितियों में वादी का मुकदमा उनके हक में प्रथमदृष्टया साबित है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी वादी के हक में है। वादीया की उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात ग्राम पीपलीया कलां में स्थित होने से श्रीमान को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार मे है। मालियत दावा बगर्ज कोर्ट फीस बाबत् तकास्मा आराजी व बाबत् स्थाई निशेधाज्ञा रूपये 200/–, 200/– की कायम की जाती है जिस पर मुकर्र सुदा फिक्स कोर्ट फीस स्टाम्प 4/– बतौर रषुम के वाद के साथ पेश है। वादीया सरहद मौजा पीपलीयां कलां, पटवार हल्का पीपलीया कलां, भू. अभि. निरिक्षक क्षैत्र पीपलीयां कलां, तहसील रायपुर जिला पाली (राज) की जमाबन्दी सवत् 2075–2078 जमाबन्दी सवत् 2077 के खाता सं. 397 खसरा सं. 30/1 रक्बा 0.1619 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खाता सं. 621 खसरा सं. 36/1 रक्बा 0.9793 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम वादीया की शामलाती खातेदारी भुमि आई हुई है। जिसमे खाता सं. 397 मे वादीया का 1/2 वा हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 को 1/4 वा हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 3 का 1/4 वा हिस्सा दर्ज है एवं खाता सं. 621 मे वादीया का 41/242 वा हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 का 40/121 वा हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 1/4 एव प्रतिवादी सं. 3 का 1/4 वा हिस्सा दर्ज रेकर्ड है। वादीया व प्रतिवादीगण का राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार विवादित भुमि का वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिन्ट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर सामलाती खाता अलग अलग किया जावें व नामान्तरण अलग अलग भरा जाकर जमाबन्दी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर।

अलग की जावें व नक्शा ट्रेश में अलग से तरमीम की जावें व मौके पर नेखेम बंदी कर पत्थर गड्डी करवाई जावें, तथा वादी को उस हिस्से का खातेदार काश्तकार फरमाया जावे राजस्व नक्शे मे अलग अलग तरमीन की जावे। खर्चा वाद वादीया को प्रतिवादी से दिलाया जावे।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड ए डी तामिल की गयी। प्रतिवादीगण तामील के बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीया अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता वादीया ने माफिक रेकर्ड एवं मौके अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस की प्राथमिक डिकी जारी करवाने हेतु सहमत हैं। अतः उक्त वाद पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज पर मनन, अधिवक्ता के मौखिक अभिकथनों से एवं अवलोकन के पश्चात् माफिक रेकर्ड एवं मौके अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस की प्राथमिक डिकी जारी करने के आदेश दिये गये थें।

माफिक रेकर्ड एंव मौके एंव कब्जा काश्त अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करनें हेतु तहसीलदार रायपुर को अधिकृत किया गया, तहसीलदार रायपुर ने विवादित भुमि का अपने पत्र कमांक राजस्व/2023/1658 दिनांक 26.12.2023 के द्वारा प्राथमिक डिकी के आदेश की पालना में बंटवाडा प्रस्ताव प्रेषित किया गया। जो निम्न हैं।

क्र. स.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1	नेमाराम पुत्र भोलाराम जाति बावरी सा. देह खातेदार	30/1 मीन 1 36/1 मीन 1	0.0405 0.2448	चाही सोयम चाही सोयम	0.65 3.96
2	समदूडी पत्नि भोलाराम जाति बावरी सा. देह खातेार की खसरा नम्बर 30/1 व 36/1 के सम्पूर्ण हिस्सा के केता हेमराज पुत्र बाबूलाल जाति सरगरा निवासी कुशालपुरा तह रायपुर खातेदारु	30/1 मीन 2 36/1 मीन 2	0.0405 0.2448	चा. सो. चा. सो.	0.65 3.96
3	सुमित्रा पत्नि कमलकिशोर जाति रेगर सा. रायपुर खातेदार	30/1 मीन 3	0.0809	चा. सो.	1.31
4	सुमित्रा कुमारी पत्नि कमलकिशोर हि. 1660/4896 जाति रेगर सा. रायपुर चिरंजीलाल पुत्र परमानंद हि. 3237/4896 जाति ढोली सा. बिजाथल तह. रियाबड़ी जिला नागौर खातेदार	36/1 मीन 3	0.4897	चाही सोयम	7.93

बंटवाड़ा प्रस्ताव का वकील वादी द्वारा अवलोकन किया गया। बहस द्वारा सुनी गई। पत्रावली के संलग्न प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। वकील वादी बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार बंटवाड़ा करने में सहमति व्यक्त की। बहस के दौरान वादी अधिवक्ता ने बताया कि सीमांकन कर पत्थरगढ़ढी करने के आदेश भी दिये जाने हेतु निवेदन किया हैं। अतः वकील वादी की सहमति के अनुसार तहसीलदार रायपुर द्वारा मौके पर कब्जा काश्त अनुसार प्रस्तावित बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी किया जाना एवं पत्थरगढढी करवाना न्यायोचित समझते है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर।

आदेश

अतः वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा पिपलियाकलां पटवार हल्का पिपलियाकलां भू अभिलेख निरीक्षक पिपलियाकलां के वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते है, जो निम्न है :–

क्र. स.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1	नेमाराम पुत्र भोलाराम जाति बावरी सा. देह खातेदार	30/1 मीन 1 36/1 मीन 1	0.0405 0.2448	चाही सोयम चाही सोयम	0.65 3.96
2	समदूडी पत्नि भोलाराम जाति बावरी सा. देह खातेार की खसरा नम्बर 30/1 व 36/1 के सम्पूर्ण हिस्सा के केता हेमराज पुत्र बाबूलाल जाति सरगरा निवासी कुशालपुरा तह रायपुर खातेदारु	30/1 मीन 2 36/1 मीन 2	0.0405 0.2448	चा. सो. चा. सो.	0.65 3.96
3	सुमित्रा पत्नि कमलकिशोर जाति रेगर सा. रायपुर खातेदार	30/1 मीन 3	0.0809	चा. सो.	1.31
4	सुमित्रा कुमारी पत्नि कमलकिशोर हि. 1660/4896 जाति रेगर सा. रायपुर चिरंजीलाल पुत्र परमानंद हि. 3237/4896 जाति ढोली सा. बिजाथल तह. रियाबडी जिला नागौर खातेदार	36/1 मीन 3	0.4897	चाही सोयम	7.93

बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभावन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा। तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जावें। साथ ही सरहद मौजा पिपलिया कलॉ पटवार हल्का पिपलिया कलॉ के प्रस्तावित उपरोक्त खसरा नम्बर में बाद विधिसम्मत प्रकिया सीमांकन शुल्क प्राप्त कर बाद सीमांकन, पत्थरगड्डी करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार रायपुर मौके पर परिशांति कायम एंव कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद की आवश्यकता होने पर संबधित पुलिस थाने से सम्पर्क कर पुलिस जाप्ता लेने की व्यवस्था करें। डिकी पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 27.12.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
बईजलास :– श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.

वादीया

सुमित्रा पत्नि श्री कमलकिशोर, उम्र–वयस्क, जाति–रेगर, निवासी–रायपुर, तहसील–रायपुर,

बनाम

प्रतिवादीगण

1. चिरजीलाल पुत्र श्री परमानन्द, उम्र–व्यस्क, जाति ढोली, निवासी विजाथल तह. रियावडी जिला नागौर राज.
2. नेमाराम पुत्र श्री भोलाराम, उम्र–व्यस्क, जाति बावरी, निवासी पिपलिया कलां तहसील रायपुर जिला पाली राज.
3. समदुडी पत्नि श्री भोलाराम, उम्र–व्यस्क, जाति बावरी, निवासी पिपलिया कलां तहसील रायपुर जिला पाली राज.
4. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, रायपुर जिला पाली (राज)

दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 ', 188 राज. काश्त. अधि.

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री जसवन्तसिंह सांखला अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुदईव हाजरी प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 अनुपस्थित मिनजानिव मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा पिपलियाकलां पटवार हल्का पिपलियाकलां भू अभिलेख निरीक्षक पिपलियाकलां के वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते है, जो निम्न है :–

क्र. स.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1	नेमाराम पुत्र भोलाराम जाति बावरी सा. देह खातेदार	30/1 मीन 1 36/1 मीन 1	0.0405 0.2448	चाही सोयम चाही सोयम	0.65 3.96
2	समदूडी पत्नि भोलाराम जाति बावरी सा. देह खातेार की खसरा नम्बर 30/1 व 36/1 के सम्पूर्ण हिस्सा के केता हेमराज पुत्र बाबूलाल जाति सरगरा निवासी कुशालपुरा तह रायपुर खातेदारु	30/1 मीन 2 36/1 मीन 2	0.0405 0.2448	चा. सो. चा. सो.	0.65 3.96
3	सुमित्रा पत्नि कमलकिशोर जाति रेगर सा. रायपुर खातेदार	30/1 मीन 3	0.0809	चा. सो.	1.31
4	सुमित्रा कुमारी पत्नि कमलकिशोर हि. 1660/4896 जाति रेगर सा. रायपुर चिरंजीलाल पुत्र परमानंद हि. 3237/4896 जाति ढोली सा. बिजाथल तह. रियाबड़ी जिला नागौर खातेदार	36/1 मीन 3	0.4897	चाही सोयम	7.93

बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभावन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। साथ ही सरहद मौजा पिपलिया कलॉ पटवार हल्का पिपलिया कलॉ के प्रस्तावित उपरोक्त खसरा नम्बर में बाद विधिसम्मत प्रकिया सीमांकन शुल्क प्राप्त कर बाद सीमांकन, पत्थरगड्डी करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार रायपुर मौके पर परिशांति कायम एंव कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद की आवश्यकता होने पर संबधित पुलिस थाने से सम्पर्क कर पुलिस जाप्ता लेने की व्यवस्था करें।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर।

नीज..................×...............मुबलिक...............×..............बाबत्............×............. खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....×...............फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....×........................को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.12.2023 को जारी किया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दयलह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा –	04	00	स्टाम्प वकालतनामा –	00	00
स्टाम्प वकालतनामा –	02	00	स्टाम्प हाजरी –		
स्टाम्प वजह सबूत –	00	00	मेहनताना वकील पर –		
मेहनताना वकील –			खर्चा गवाहान –		
खर्चा गवाहान –			फीस कमिश्नर –		
फीस कमिश्नर –			बाबत इजराय हुक्मनामा –		
बाबत इजराय हुक्मनामा –			मुतफरिक –	0	00
मुतफरिक –		00	मीजान	00	00
मीजान	06	00			

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।